

भारत की नीतियाँ व निर्यात

डॉ. यदुराज सिंह यादव

अध्यक्ष :- व्यावहारिकव्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग
किशोरीरमणमहाविद्यालय मथुरा

भारत की कम्प्यूटर निर्यात की नीतियाँ :- भारत की सूचना तकनीकी उद्योग भारत की उद्योगिक एवं व्यापार नीति की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्यात व विदेशों को सूचना तकनीकी सम्बन्धी सेवाओं का भारत के अन्दर से प्रदान करना भारत की विदेशी मुद्रा अर्जन का सबसे बड़ा श्रोत बन गया है। इस प्रयास में सरकार की भूमिका अन्य क्षेत्रों से अलग रही है। इस क्षेत्र में सरकार की टेलीकाम नीति जिसने सस्ती कम्प्यूटर नेट वर्किंग का जाल बिछाया और आईटी की शिक्षा व प्रशिक्षण की सरकारी संस्थानों व निजी क्षेत्र के इन्जीनियरिंग विद्यालयों को प्रोत्साहित किया उसने कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में लागत अन्य देशों से कम होने के कारण निर्यात की अच्छी सम्भावनायें हैं और भारत तुलनात्मक श्रेष्ठ सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है। जिसके कारण निर्यात की अच्छी सम्भावनायें हैं और भारत तुलनात्मक श्रेष्ठ सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है जिसके कारण निर्यात की अच्छी सम्भावनायें हैं और भारत तुलनात्मक श्रेष्ठ सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है जिसके कारण फोरचून की 1000 कम्पनीयों में से 260 से अधिक अर्थात् विश्व की एक चौथाई सबसे बड़ी कम्पनीयों भारत में कम्प्यूटर सॉफ्ट वेयर क्रय करते हैं अथवा भारत में सॉफ्ट वेयर सेवाएँ लेते हैं। जिससे भारत के भारी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। साथ ही कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण इंजीनियर भारी संख्या में कार्यरत हैं जिनकी संख्या एक लाख से अधिक है जो प्रतिवर्ष कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात के साथ बढ़ रही है। क्योंकि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में विश्व शक्ति बनाने का लक्ष्य है जिसके लिये अनेक नीति निर्देश दिये गये हैं और इस क्षेत्र को अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई है।

सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कुशल प्रशिक्षण जनशक्ति का सबसे अधिक महत्व है अतः सरकार ने सॉफ्टवेयर के कुशल इन्जीनियर व अन्य प्रशिक्षण जनशक्ति बढ़ाने के लिये सरकारी विनियोग, आई. आई.टी. विज्ञान व सम्बन्धित क्षेत्रों को काफी बढ़ावा दिया है। साथ ही विश्वविद्यालयों ने एम.सी.ए व बी.सी.ए. के कोर्स प्रारम्भ किये हैं। अनेक प्रदेशों में टैक्निकल विश्वविद्यालय प्रारम्भ किये गये हैं और अनेक इन्जीनियरिंग विद्यालय खोले गये हैं जिनमें आई.टी. व कम्प्यूटर विज्ञान व इन्जीनियरिंग विद्यालय खोले गये हैं जिनमें आई.टी. व कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग को प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध हो सके। साथ ही निजी क्षेत्र में कम्प्यूटर में प्रशिक्षण के लिये अनेक संस्थान खुले हैं और सरकारी क्षेत्र में भी प्रशिक्षण व परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है साथ ही जावा व ओक्ल की परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भारतीय विद्यार्थियों को विदेशों में भी शिक्षा प्राप्त करने व प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाती है। जिन विद्यार्थियों के पास पर्याप्त धन साधन नहीं है उन्हें बैंको से सस्ती ब्याज दर पर शिक्षा उपलब्ध कराये जाते हैं। किन्तु अभी भी पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नहीं है अतः सरकार की नीति और अधिक इन्जीनियरिंग विद्यालय व आई टी खोलने की है और शिक्षा स्तर को उच्च बनाने का प्रयास है।

विश्व बाजारों में उन देशों से कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के आयात में प्राथमिकता दी जाती है जो अनुसन्धान कर आयातकों की आवश्यकतानुसार नये

सॉफ्टवेयर विकसित कर सकें। अतः अनुसन्धान व विकास पर बल देने के लिये सॉफ्टवेयर कम्पनीयों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रथम कम्पनियों आवश्यक सयंत्र बिना आयात कर दिये अपनी आवश्यकतानुसार किसी सीमा के बन्धन के बगैर आयात कर सकती हैं।

दूसरे कम्पनीयों को अनुसन्धान व विकास पर अधिक व्यय करने को प्रोत्साहित करने के लिये आयकर में छूट दी जाती है। अनुसन्धान व विकास ने केवल आय में से घटाया जा सकता है। किन्तु प्रत्येक रूपयों के खर्च पर 150 रूपयों की छूट दी जाती है। जिसके कारण जहाँ 1997-98 में कुल व्यय का 2.5 प्रतिशत अनुसन्धान व विकास पर व्यय हुआ यह 2000-01 में 4 प्रतिशत हो गया।

भारत में विदेशों के लिये जहाँ कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सम्बन्धित सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है उनकी गोपनीयता रखना भारी समस्या है। गोपनीयता रखने के लिये भारत सरकार ने एक कानून पारित किया है कि यदि कोई कर्मचारी गोपनीयता नहीं रखेगा और किसी कम्पनी को भेज देगा तो उसे कड़ी सजा का प्रावधान है। आई टी. इससे विदेशी आयातकों की भारत में आस्था बढ़ी है। सूचना की गोपनीयता रखने के लिये सूचना गोपनीयता प्रबन्ध सिस्टम बनाया गया है और माइक्रोसॉफ्ट से इस सम्बन्ध में सहयोग समझौता किया गया है जिसके गोपनीयता रखने में और सहायता प्राप्त होगी। 2005-06 में निर्यात की और अधिक प्रोत्साहन देने के लिये निम्न पग उठाये गये हैं।

सूचना तकनीकी समझौते के अन्तर्गत सब ही 217 टैरिफ लाईन पर आयातकर समाप्त कर दिया गया है।

आई टी आईटम के बनाने में जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन सब पर उपयोग 13 करने वालों को आयात कर से मुक्त कर दिया गया है।

आई टी एक्ट में संशोधन करने का विचार है जिससे उत्पादकों, सेवाएँ प्रदान करने वालों व निर्यातकों का समाधान निकल सके। इसके अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञों की समिति गठित की गयी है।

भारत का अगले दस वर्ष में विश्व में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात में प्रथम स्थान पाने का लक्ष्य है इसके लिये उत्पादकता बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है जिसके लिये प्रशिक्षण के साथ साथ कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर उत्पादकों को श्रम कानून में घन्टों की छूट दी है वह दिन रात कार्य कर सकते हैं और आठ घन्टों से अधिक कार्य अपने कर्मचारियों से करा सकते हैं।

निर्यात आयात नीति ने तकनीकी पार्कों की स्थापना की सुविधा प्रदान की है जहाँ बिजली, संचार सेवाएँ पर्याप्त रूप में उपलब्ध कराई गई है और आवागमन के साधनों को विकसित किया गया है और कर्मचारियों के लिये मकान व उनके बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधा उपलब्ध ज कराई जा रही हैं इस प्रकार के अनेक पार्क प्रारम्भ हो चुके हैं और अधिक पार्कों की मांग है आशा है कि इनसे निर्यात में सुविधा होगी।

राष्ट्र सॉफ्टवेयर सेवाओं के सब न सॉफ्टवेयर निर्यात की तक की योजना बनाई है जिसमें भारत सरकार का पूरा सहयोग उपलब्ध है।

भारत में प्रति 1000 व्यक्ति केवल 20 कम्प्यूटर थे अतः इनकी संख्या बढ़ाने पर बल है जिसके लिये देश में उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है जिसके लिये देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है और आयात कर से मुक्त कर दिया गया है।